NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No: 254 /NCRES/19 Date: 11.09.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– पे मैट्रिक्स 35400–112000 (Level-6) GP-4200 में चयनित ट्रेनी स्टेशन मास्टरों के स्टाइपेन्ड में विसंगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर स्टेशन मास्टर कटेगिरी में ग्रेड पे 2800 समाप्त कर ग्रेड पे 4200 (Level-6) कर दिया गया, जिसके अनुसार 2800 ग्रेड पे में कार्यरत स्टेशन मास्टर GP-4200 में अपग्रेड भी कर दिये गये। सातवे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् ग्रेड पे 4200 में सीधी भर्ती कोटे के आधार पर चयनित स्टेशन मास्टरो को चन्दौसी ट्रेनिंग हेतु भेजा गया किन्तु ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेन्ड का भुगतान रू. 35400 न करके रू. 29200 ही किया गया।

अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय द्वारा जारी स्टेशन मास्टर के पैनल दिनांक 5.12.2017 के अन्तर्गत इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल से स्टेशन मास्टरो को ट्रेनिंग के लिये चन्दौसी भेजा गया था। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इलाहाबाद और झांसी मण्डल ने स्टेशन मास्टरो को स्टाइपेन्ड के रूप में 29200/– प्रतिमाह और आगरा मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 18.12.2017 (संलग्न) के पैरा 4 के अनुसार 35400/– रू प्रतिमाह का भुगतान किया।

यह भी अवगत कराना है कि इलाहाबाद और झांसी मण्डल के स्टेशन मास्टरो ने स्टाइपेन्ड के रूप में 29200/– के स्थान पर 35400/– की मांग किया तो आगरा मण्डल ने तीन माह तक 35400/– प्रतिमाह भुगतान करने के बाद 29200/– रू प्रतिमाह भुगतान करना शुरू कर दिया।

NCRES का अनुरोध है कि VII CPC की सिफारिश लागू होने के बाद सीधी भर्ती कोटे में चयनित ट्रेनी स्टेशन मास्टरो को रू. 29200/– के स्थान पर 35400/–रू स्टाइपेन्ड के रूप में भुगतान करने व इस बीच ट्रेनिंग कर चुके स्टेशन मास्टरों को किये गये भुगतान के अन्तर के एरियर का भुगतान करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करे।

संलग्न : आगरा मण्डल का पत्र दिनांक 18.12.2017

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री